

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 22 अगस्त, 2008/श्रावण 31, 1930 (शक)

संख्या- 274

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, डीसीपी,सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, श्री पूरन चन्द योगी, श्री मोती लाल सोढ़ी एवं श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन,पहाड़गंज,नई दिल्ली से दिनांक 21.08.2008 को 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 11.45 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Friday, 22nd August 2008/ 31 Sarvana, 1930(Saka)

No. 274

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, Central District, Delhi.

"I have the honour to inform you that Shri Puran Chand Yogi, Shri Moti Lal Sodhi and Shri Surender Pal Ratawal Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 65 of Delhi Police Act 1978, from P. S. Pahar Ganj at 11.30 A.M. on 21.8.2008.

They were released at 11.45 A.M. from the same place on the same date."

Siddharath Rao
Secretary